कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./ESTB/19949/2026-ACC SEC

भिलाई, दिनांक 27/06/2026

//कार्यवाही विवरण//

नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में उप सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र दिनांक 04.06.2026 के संदर्भ में छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ एवं छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ की संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 22.06.2026 को सभागार में 11:00 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

1. श्री राजीव कुमार पाण्डेय — आयुक्त एवं अध्यक्ष
2. श्री नरेन्द्र कुमार बंजारे — उपायुक्त एवं सदस्य
3. श्री चन्द्रभूषण साहू — लेखाधिकारी एवं सदस्य
4. श्री शशिभूषण मोहंती — अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ
   संघ के अन्य दस सदस्य
5. श्री श्रवण ठाकुर — प्रांतीय अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ
   संघ के अन्य दस सदस्य

संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 22.06.2026 में उल्लेखित मांग बिन्दुओं पर संघो के साथ चर्चा की गई। चर्चानुसार निम्नलिखित समस्याओं पर गहन विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया/कार्यवाही की गयी है :–

1. **परामर्शदात्री समिति की बैठक**–नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को कर्मचारी समस्याओ पर प्रत्येक 3 माह में एक बार परामर्शदात्री समिति की बैठक कर्मचारी संख्या प्रतिनिधि एवं प्रशासन के प्रतिनिधि के बीच होनी चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की समस्या हो उसकी निराकरण हो सकेगी। यह विशेष कृपा होगी समस्याओ के निराकरण के लिये–**मांग अनुसार कर्मचारी समस्याओं पर चर्चा हेतु बैठक प्रत्येक 02 माह में किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय किया गया।**

(कार्यवाही निकाय स्तर पर सा0प्र0वि0)

2. **स्टापण्ड वेतन में की गई कटौती राशि की वापसी**–पूर्ववर्ती सरकार ने अनुकम्पा नियुक्ति मतें नियुक्त कर्मचारियों को कम वेतन देना पड़े करके नया नियम लागू की गई थी कि प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत देय होगी, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत देय होगी, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत देय होगी, इस प्रकार कटौती की गई है जिसकी विरोध होने पर सरकार ने बंद कर दिया है किन्तु काटी गई राशि आज पर्यन्त तक वापस नहीं किया गया है। अतः काटी गई राशि को वापस किया जाये। यह विशेष संवेदनशील मुद्दा है इसलिए राशि वापस किया जाये। – **इस संबंध में शासन द्वारा किसी प्रकार का आदेश निर्देश प्राप्त नही हुआ है। यदि राशि वापसी का आदेश किया जाता है तो कार्यवाही की जावेगी।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

3. **नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों के स्थानांतरित कर्मचारी को मूल विभाग में वापसी हेतु**–सम्पूर्ण नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में अच्छे कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को शासन द्वारा अन्य नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में स्थानांतरण की गई है इन कर्मचारियों को दोहरा घर परिवार, चलाने को जिम्मेदारी आ गई है जो बहुत ही मुश्किल कार्य है उनका ट्रांसफर हुये बहुत दिन हो चुका है। अतः क्षमा दान देते हुये समस्त स्थानांतरित कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस लौटाई जाने की कृपा हो।–अधिकारी/कर्मचारियों का **स्थानातंरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया जाता है। शासन द्वारा निर्णय लिया जावेगा।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

Scanned with CamScanner

4. **नगरीय निकाय के पेंशनरों को अंतरिम महंगाई राहत**–शासन के द्वारा महंगाई भत्ता अब तक 60 प्रतिशत जारी हो चुकि है। किन्तु नगरीय निकाय के पेंशनरों को आज भी मात्र 53 प्रतिशत महंगाई राहत प्राप्त हो रही है जिसे बढ़ाते हुये 55 प्रतिशत, 58 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत तक वृद्धि किये जाने की कृपा हो। **–शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

5. **प्रतिमाह नियमित वेतन**– नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में जिसकी संख्या अनुमानित 192 है जहां की प्रतिदिन की आय शासन अपने अधिकार क्षेत्र में लेले और हमें प्रतिमाह 01 तारीख को नियमित वेतन भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा हो। – **शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

6. **पुराना पेंशन योजना**– नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में वर्ष 2004 के बाद सेवा में नियमित हुये अधिकारी/कर्मचारियों को पुराना पेंशन योजना का लाभ दिये जाने हेतु आदेश प्रशारित कराने की कृपा हो। (अर्थात जिन कर्मचारी/ अधिकारियों को पुराना पेंशन नहीं मिल रहा है उसे पुराना पेंशन दिलाने की कृपा हो) **–शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

7. **एरियर्स की राशि**– नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में वर्ष 01/01/2006 से 19/05/2011 तक अर्थात 64 माह 19 दिन का एरियर्स छठवां वेतनमान का बकाया है तथा 01/01/2017 से 31/03/2019 तक अर्थात् 27 माह का सातवां वेतनभान का एरियर्स राशि बकाया है जिसके लिये शासन स्तर पर नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों को आदेश जारी किया जाना उचित प्रतित होता है एक मुस्त ना देकरके 10–15 किस्तो में भी दिया जायेगा, जो संस्था के पास राशि हो वह एक मुस्त भी दे सकेगी. शेष भुगतान करेगी ऐसा आदेश जारी करने की कृपा हो। **–शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

8. **कैशलेश चिकित्सा सुविधा**– नगर पंचायतों. नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में जो भी कर्मचारी/अधिकारी बीमार पड़ रहे है या पड़ेंगे उनको कैशलेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की महती कृपा हो। (राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारियों के समान)–**शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

9. **सैलरी पैकेज कर्मचारी बीमा**– नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में राज्य शासन अपने कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये छ.ग. राज्य फेडरेशन के मांग पत्र के आधार पर सैलरी पैकेज कर्मचारी बीमा लागू करने जा रही है। उसे नगरीय निकायों में भी लागू करवाने की महती कृपा हों। **–शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

10. **नवीन सेटअप**–नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में समय–समय पर नगरीय निकायों के आयुक्तों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा अपने संस्थाओं को चलाये जाने हेतु नवीन सेटअप की स्वीकृति चाही गई है जिसे अविलंब स्वीकृति प्रदान करने की कृपा हों। नवीन सेटअप स्वीकृति नहीं होने के कारण 30–35 वर्षो से लोगन एक ही पद पर कार्यरत है प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। जिसे सेटअप स्वीकृत कर पदोन्नती का मार्ग प्रसस्त करने की कृपा हों। **–शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

Scanned with CamScanner

11. **समयमान वेतनमान–** नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में पूर्व में राज्य शासन द्वारा 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष सेवा करने पर समयमान वेतनमान स्वीकृति प्रदान किया गया है जिसे वर्तमान समय में 08,16,24, एवं 32 वर्ष के आधार पर संशोधित आदेश जारी करने की महती कृपा हों। – **समयमान वेतनमान हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 22.06.2026 में 31 अधिकारी/कर्मचारियों के समयमान वेतनमान प्रकरण को विचारार्थ रखा गया है। जिन कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन अपूर्ण है उन्हें रोककर शेष कर्मचारियों का प्रथम/तृतीय समयमान वेतनमान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन पाया है जिसमें शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करें।**

(कार्यवाही निकाय स्तर पर सा0प्र0वि0)

12. **LSGD–** नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में उपरोक्त लोकल सेल्फ गर्वनमेंट डिप्लोमा जिन अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत किया गया है उन्हें शासन के नियमानुसार दो वेतनवृद्धि का लाभ दिलाने की महती कृपा हों। – **वर्तमान में 47 कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रमांक/RULE-801/149/2025 UAD दिनांक 07.07.2025 के संदर्भ में कार्या. पत्र क्र 494 दिनांक 30.03.2026 के द्वारा संचालक, संचालनालय रायपुर को 11 कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धि की स्वीकृति हेतु पत्र लिखा गया है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

13. **पेंशनरों की दायित्वों का भुगतान–** नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में जो कर्मचारी/अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे है उन्हें उनके दायित्वों को प्राप्त करने में जैसे भविष्य निधि खाता की राशि (NPS/OPS होने के कारण काफी विलंब हो रही है) अर्जित अवकाश नगदीकरण की राशि प्राप्त करने के लिये वर्षों लग जा रहे हैं, जिसे कम से कम 90 दिनों के भीतर भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाना उचित प्रतीत होता है।–**नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त एवं मृतक अधिकारी/कर्मचारियों के देय स्वत्वों का भुगतान निगम मद में राशि उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है तथा भुगतान हेतु शेष अधिकारी/कर्मचारियों के लिए फ्री–होल्ड की राशि से भुगतान की स्वीकृति हेतु शासन को पत्र लिखा गया है। कार्यालय द्वारा पेंशन/उपादान/NPS प्रकरणों को तैयार कर स्वीकृति हेतु उप संचालक पेंशन, रायपुर को प्रेषित किया जाता है। चूंकि सेवानिवृत्त एवं मृतक अधिकारी/कर्मचारियों का NPS की राशि मुम्बई में जमा होती है। संचालनालय, रायपुर द्वारा NPS की राशि मय ब्याज सहित मंगाये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाती है। उक्त राशि संचालनालय, रायपुर को 9–10 माह में प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त एवं मृतक अधिकारी/कर्मचारियों को NPS/पेंशन/उपादान का भुगतान संचालनालय, रायपुर द्वारा किया जाता है।**

(कार्यवाही शासन/निकाय स्तर पर)

14. **अनुकम्पा नियुक्ति–** नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में वर्तमान समय में संस्थाओं में पद रिक्त नहीं होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा रही है. जो अत्यंत गंभीर विषय है। परिवार के मुखिया की मृत्यु उपरांत परिवार बिखर सी जा रही है। जिसे बचाने के लिये शासन अविलंब अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की आदेश दिलाने की महती कृपा करें। साथ ही प्रत्येक नगर पंचायतों के लिये 02 सहायक राजस्व निरीक्षक, 02 स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं 02 सहायक ग्रेड–03 अर्थात प्रत्येक पंचायतों के लिये अनुकम्पा नियुक्ति का 06 पद स्वीकृति प्रदान करने की कृपा हो। साथ ही नगर पालिका परिषदों में 05 सहायक राजस्व निरीक्षक, 05 स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं पांच सहायक ग्रेड–3 अर्थात कुल 15 पद, पश्चात् नगर निगमों के लिये 10 सहायक राजस्व निरीक्षक, 10 स्वच्छता पर्यवेक्षक, 10 सहायक ग्रेड–03 अर्थात प्रत्येक निगमों में 30–30 पद अनुकम्पा नियुक्ति के लिये स्वीकृति प्रदान करने की महती कृपा हों। –**नगर पालिक निगम, भिलाई में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद न होने की स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को अन्य निकायों में नियुक्ति के लिए प्रकरण प्रेषित किया गया था जिसमें 06 आवेदक/आवेदिकाओं की नियुक्ति के लिए संचालनालय से अनुमति प्राप्त हुआ है नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पद स्वीकृति संबंधी संघ की मांग पर शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

Scanned with CamScanner

15. **ट्रेजरी पेंमेंट की व्यवस्था बनाई जाये**–नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारियों को जिस प्रकार से शासन ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान करती है उसी प्रकार से नगर पचायत, नगर पालिका परिषद, व नगर पालिक निगम आय के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली राशि को शासन अपने अधिनस्त ले लेवे और नगरीय निकायों को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान कराना सुनिश्चित हो। **–शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

16. **वर्ष 1997 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को नियमित किया जाये–** नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में वर्तमान समय में राज्य शासन के आदेशानुसार 1997 के पूर्व से सेवा में कार्यरत रहे अधिकारी/कर्मचारियों को ही नियमित किया गया है उसी प्रकार से वर्ष 1997 के बाद से कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियमितीकरण (Regular किये जाने की आदेश जारी करने की महती कृपा हो) **–शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

17. **किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल की गणना पहले उनकी दैनिकवृत्त अवधि को गणना करनी चाहिए पश्चात उनकी नियमितीकरण अवधि की**–नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों में उपरोक्तानुसार गणना कराने की महती कृपा हों। **–शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

18. **चौदह प्रतिशत कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हो रहा है जिसे जमा कराने की कृपा हों–** नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पालिका निगमों से ग्रेजवेटी उपादान की राशि राज्य शासन के आदेशानुसार भविष्य निधि खाता में 10 प्रतिशत राशि कटौती कर शासन की 14 प्रतिशत राशि समयोजित कर जमा करने का नियम बनाई गई है किन्तु आज पर्यन्त तक उपरोक्त आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो रही है जिसे क्रियान्वयन कराने की कृपा हों। **–शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

19. निगम में ठेका प्रथा को समाप्त किया जावे। **–शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाना है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

20. निगम में रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नति किया जावे जिससे अन्य कर्मचारियों को लाम मिल सके।**–आयुक्त के अधिकारिता के पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 22.06.2026 को बैठक आहूत की गई है।**

(कार्यवाही निकाय स्तर पर सा0प्र0वि0)

21. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लाईनमेन, वाहन चालक, पंप अटेन्डेट, प्लम्बर व तकनीकी सहायक के कर्मचारियों को चैनल निर्धारण कर नवीन पद स्वीकृत किया जावे ताकि पदोन्नति का लाभ मिल सके। **–पदसंरचना के पुनरीक्षण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।**

(कार्यवाही शासन स्तर पर)

22. भविष्य निधि/नवीन अंशदायी पेंशन (NPS) राशि प्रत्येक माह खाता में जमा किया जावे।– **निगम मद में राशि उपलब्धता के आधार पर भविष्य निधि/नवीन अंशदायी पेंशन (NPS) राशि 2–3 माह के अन्तराल में जमा किया जाता है।**

(कार्यवाही निकाय स्तर पर लेखा शाखा एवं भविष्य निधि शाखा)

23. कर्मचारियों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों का निर्धारित समय के भीतर पालन किया जाये।**–माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा भिन्न–भिन्न दायर याचिकाओं पर पारित निर्देशों के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**

(कार्यवाही निकाय स्तर पर सा0प्र0वि0)

Scanned with CamScanner

24. दिव्यांग कर्मचारियों के भत्तों में भिन्नता होने कारण कर्मचारियों में असंतोष है नियमानुसार विसंगती दूर किया जावे। –नियमानुसार कार्यवाही हेतु नस्ती प्रस्तुत किया जावें।

(कार्यवाही निकाय स्तर पर सा0प्र0वि0)

25. पूर्व में आवास हेतु कर्मचारियों द्वारा दिये गये आवेदनों का नियमानुसार आवास आबंटित किया जावे। – सेवानिृवत्त/स्थानातंरित कर्मचारियों द्वारा आबंटित आवास को रिक्त नही किया गया है। उन्हें तत्काल रिक्त किये जाने की सूचना दी गई है तथा सेवानिवृत्त/स्थानातंरित तिथि पैनल रेट अनुसार राशि जमा की सूचना दिया जाना है। तत्पश्चात् रिक्त आवासगृहों का आबंटन नियमानुसार किया जावेगा। यह कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(कार्यवाही निकाय स्तर पर सा0प्र0वि0)

Digitally signed by
Rajeev Kumar Pandey
Date: 27-06-2026
22:08:05

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 27/06/2026

पृ.क्रं./ESTB/19949/2026-ACC SEC

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/सहायक अधीक्षक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं कार्यवाही किये जाने हेतु पालनार्थ।
6. जनसंपर्क नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner